मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4335
19 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

भोपाल में एमआरटीएस

4335. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर :
क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भोपाल में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) के लिए अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की संख्या कितनी है तथा अनुमोदित डीपीआर के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत भोपाल में मेट्रो की शुरुआत से संबंधित डीपीआर को मंज़ूरी दी गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भोपाल में मेट्रो रेल सुविधा स्थापित करने के संबंध में अनुमोदित डीपीआर में किसी परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या आवंटित धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र/ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : शहरी परिवहन, शहरी विकास का एक अभिन्न भाग है, जो कि राज्य का विषय है। तदनुसार, मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु डीपीआर में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनके अनुमोदन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

केन्द्र सरकार, मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए शहरी परिवहन आयोजना हेतु इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत लागत के केवल 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए जारी की गई 303.30 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के उपयोग प्रमाणपत्र राज्य सरकार से अब प्राप्त हो चुके हैं।

*****